न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज श्रीराम बनाम राज. सरकार मु.नं. 23/22 T.F.
	22/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रा.पत्र T.F. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.F. दिनांक 22/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
	22/5/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.6.25 को पेश हो।
	19.6.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.7.25 को पेश हो।
	22/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश प्रा.पत्र T.F. लिखवाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.F. दिनांक 19.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)
	19.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर इत्तलाह के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23/2022	11.05.2022	19.08.2025

बउनवान

1. श्रीराम पुत्र मांग्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. जलसिंह पुत्र मांग्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. विजयराम पुत्र मांग्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. विश्राम पुत्र मांग्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. जगराम पुत्र चिरंजी, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. झूमादेवी पत्नी स्व. चिरंजी, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. प्रभूदयाल पुत्र चिरंजी, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. हरिराम पुत्र चिरंजी, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महवा, जिला दौसा।
4. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मण्डावर, जिला दौसा।
5. जिला कलक्टर दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 669 रकबा 0.24 हैक्टे. ग्राम ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। आराजी खसरा सं. 669, रकबा 0.24 हैक्टे. साबिक खसरा सं. 125, रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा से बना है। साविक खसरा सं. 125 के खातेदार मूल्या पुत्र हरबक्स, जाति मीना खातेदार काश्तकार थे जिसका रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा था जिसमें साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार किसी भी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं था, ना ही किसी प्रकार का रास्ते का इन्द्राज नक्शा ट्रेस अथवा जमावन्दी में ही था। उक्त रकबा बडा होने के कारण उक्त आराजी के मध्य में आने–जाने के रूप में उपयोग–उपभोग मे लेते चले आ रहे थे, जिस निजी रास्ता का बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया सं. 669 रकबा 0.24 हैक्टे. बनाते हुये उसकी किस्म परिवर्तन करते हुये गै.मु. रास्ता कर

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

दिया जबकि उक्त खसरा सं. साबिक में किसी भी प्रकार का रास्ता की किस्म नहीं थी। उसके बावजूद बन्दोबस्त विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उक्त खसरा सं. की किस्म को परिवर्तित कर दिया जबकि खातेदारी आज भी व इससे पूर्व भी प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता एवं बाबा की खातेदारी में रहा है। खसरा सं. 669 रकबा 0.24 हैक्टे. वाके ग्राम ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिससे अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है तथा उक्त आराजी में स्थित रास्ता हम प्रार्थीगण का निजी खातेदारी का रास्ता है जिसमें हो रहे इन्द्राज को सायलान दुरूस्त करवाये जाने के अधिकारी हैं तथा उक्त गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 उक्त खसरा सं. 669 रकबा 0.24 हैक्टे. में रास्ता सडक बनाने पर आमादा है जबकि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 किसी भी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि में होकर ना तो राजकीय पैसा खर्च कर सडक का निर्माण कर सकते है और ना ही कच्चा पक्का रास्ता का ही निर्माण कर सकते है। यदि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को किसी आम रास्ता अथवा खातेदारी की आराजी में रास्ता का निर्माण किया जाना होता है तो उस भूमि को नियमानुसार राजकीय कार्य हेतु अवाप्त किया जाता है तथा संबंधित खातेदार को मुआवजा राशि दी जाकर उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित करवाई जाती है, उसके उपरान्त ही अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 किसी रास्ते अथवा सडक का निर्माण करवा सकते है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा नहीं कर दुर्भावनावश, अन्य व्यक्तियों के दबाव में आकर गलत काम करने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूरी-पूरी उम्मीद है तथा प्रार्थीगण इस सडक निर्माण किये जाने में सहमत भी नहीं है। उसके उपरान्त भी उनके द्वारा किये जाने वाला कृत्य गैरकानूनी है। हम प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज की पूर्व में जानकारी नहीं थी लेकिन अब अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के द्वारा ठेकेदार को दिनांक 03.05.2022 को उक्त खसरा सं. 669 में सडक निर्माण हेतु जेसीबी भेजकर निर्माण कार्य शुरू करना चाहा जिसका हमें पता चलते ही हम सायलान ने वहीं मौके पर उपस्थित होकर उनसे उक्त खसरा सं. 669 में सड़क निर्माण नहीं किये जाने का निवेदन किया जिस पर उस दिन तो ये लोग चले गये लेकिन ये कह कर गये कि हमें अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की ओर से उक्त खसरा सं. 669 में सडक निर्माण के आदेश प्राप्त हुये है। इसलिये हम उक्त खसरा सं. में सडक निर्माण करेगें। तब हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 4 के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और उन्हें उक्त खसरा सं. में सडक निर्माण नहीं करने का निवेदन किया जिस पर उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि इसमें सडक का निर्माण किया जावेगा या फिर आप किसी न्यायालय से स्थगन लेकर दो। तब हमने अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय में जाकर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर उन्होंने कहा कि इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये हैं जिन्हें दुरूस्त किये जाने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है। आप सक्षम न्यायालय से आदेश लाकर दो, जब ही उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जा सकता है। इस कारण श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिसमें होकर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 जबरन गैरकानूनी कृत्य करते हुये सडक निर्माण किये जाने पर आमादा है तथा उसमें हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने में भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा इनकार कर दिया है। यदि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी, लिहाजा उन्हें पावन्द किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा सं. 669 रकबा 0.24 हैक्टे. ग्राम ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में होकर किसी प्रकार का रास्ता सडक का निर्माण नहीं करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। तहसीलदार मण्डावर से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार मण्डावर की मौका रिपोर्ट अनुसार पुराना चलता हुआ रास्ता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया गया।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीवद्ध किया गया।अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/2022/207 दिनांक 17.05.2022 अनुसार, ग्राम ईशरीखेडा के खसरा सं. 669 रकबा 0.24 हैक्टे. की किस्म गैर मुमकिन रास्ता कदीमी है। यह रास्ता 50-60 वर्षों से अधिक समय से चालू है जो कि ग्राम ईशरीखेडा से ग्राम कटहैडा की सीमा तक जाता है। उक्त रास्ते पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जो कि लगभग 20 वर्ष पुरानी है।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ-पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –
(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या
(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।
(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है, इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

है जितनी वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, विवादित आराजी खसरा सं. 669 के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थीगण वाद पत्र के जरिये खसरा सं. 669 की किस्म को परिवर्तित करवाना चाहते हैं जिसका निर्णय वाद पत्र में साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण पर किया जायेगा। उक्त निर्णय होने से पूर्व अप्रार्थीगण के द्वारा यदि खसरा सं. 669 में से होकर सड़क का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 669 के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 विवादित आराजी खसरा सं. 669 में होकर किसी प्रकार का रास्ता सडक का निर्माण नहीं करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 19.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)